



**कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन ,पुलिस कमिश्नरेट,  
वाराणसी।**

**प्रेस नोट**

**दिनांक- 03-11-2021**

थाना जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0-95/2014 धारा-354,506,376,511 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट में श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज ,मॉनिटरिंग सेल तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जैतपुरा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 03.11.2021 को माननीय विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध पाते हुए सम्बन्धित अभियुक्त नूरुलऐन निवासी रसूलपुरा थाना जैतपुरा वाराणसी को अंतर्गत धारा 8 पोक्सो एक्ट में 4 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹4000 अर्थदंड, अंतर्गत धारा 376/511 आईपीसी 7 वर्ष के सश्रम कारावास हुआ ₹10000 अर्थदंड तथा अंतर्गत धारा 506 आईपीसी 6 मास के साधारण कारावास से दंडित किया गया तथा अभियुक्तगण मेराज अहमद पुत्र शफीउर्रहमान निवासी अमरपुर बटलोहिया थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी तथा भोला उर्फ नेहाल पुत्र बदरुद्दूजा निवासी रसूलपुरा थाना जैतपुरा वाराणसी को अंतर्गत धारा 8 पोक्सो एक्ट 3 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹4000 अर्थदंड ,अंतर्गत धारा 376/511 आईपीसी 5 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹6000 अर्थदंड तथा अंतर्गत धारा 506 आईपीसी 6 माह के साधारण कारावास से दंडित किया गया ।

**सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी**